



पत्र सं०-

223 / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2017-18 / 31/5/17

दिनांक- 03/07/2017

### कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश सं०-1781 / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2017-18 दिनांक 03.04.2017 द्वारा निम्नलिखित परिषद योजनाओं (अवध विहार योजना लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-1 लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-2, (भाग-1 व भाग-2) लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-3 एवं 4 लखनऊ, आम्रपाली योजना लखनऊ, सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद, मण्डोला विहार बागपत) की दरों को पत्रांक-310 / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2014-15 दिनांक 26.02.2014 द्वारा निर्धारित भूमि दरों पर दिनांक 30.06.2017 तक स्थिर रखा गया था।

आवास आयुक्त (म०) द्वारा वृन्दावन योजना सं०-2, भाग-1, लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-3, लखनऊ एवं वृन्दावन योजना सं०-4, लखनऊ (तीन नग) योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं की भूमि दरों का निर्धारण कर दिया गया है। उपर्युक्त 3 नग योजनाओं की भूमि दरों का निर्धारण अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त से आख्या पुनः प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 01.07.2017 से किया जायेगा।

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	स्वीकृति भूमि दरें (रु० प्र०व०मी०)	रिमार्क
1	2	3	4
1.	अवध विहार योजना, लखनऊ	रु० 21,500.00 प्र०व०मी०	
2.	वृन्दावन योजना सं०-1, लखनऊ	रु० 21,500.00 प्र०व०मी०	
3.	वृन्दावन यो० सं०-2, भाग-2 लखनऊ	रु० 23,000.00 प्र०व०मी०	
4.	हरदोई रोड योजना (आम्रपाली), लखनऊ	रु० 17,500.00 प्र०व०मी०	
5.	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद	रु० 37,700.00 प्र०व०मी०	
6.	मंडोला विहार योजना, गाजियाबाद	रु० 23,000.00 प्र०व०मी०	

अतः उपर्युक्तानुसार निर्धारित भूमि दरें दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगी।

(जनार्दन प्रसाद पाण्डेय)

वरि०वि० एवं लेखाधि० / वित्त नियंत्रक

०८

संख्या-

२९३ / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-२०१७-१८/३०१३२

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त(म०) के स्टाफ आफिसर को आवास आयुक्त(म०) के अवलोकनार्थ एवं संज्ञान में लाने हेतु।
2. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अपर आवास आयुक्त (स०प्र०) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
6. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, .....वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ..... को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिशासी अभियन्ताओं एवं उप खण्ड अधिकारियों को सम्बन्धित दरें पृष्ठ सं० ..... संसूचित करने का कष्ट करें।
8. संयुक्त आवास आयुक्त.....जोन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ..... को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त एवं सम्पत्ति प्रबन्धक को सम्बन्धित दरें पृष्ठ सं० ..... संसूचित करने का कष्ट करें।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
10. उप आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
11. जन प्रकोष्ठ, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
12. अवर अभियन्ता, मूल्यांकन, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।

वरि०वि० एवं लेखाधि०/वित्त नियंत्रक

१९